

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
राजेन्द्रनगर अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक 07/06/2018

विषय- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0012-राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना उपशीर्ष-विपत्र कोड-20-2210011100012 के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयो में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कुल-₹ 4,58,80,300/- (चार करोड़ अठावन लाख अस्सी हजार तीन सौ) रू० मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/ उपशीर्ष/ विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न इकाईयो में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कुल-₹ 4,58,80,300/- (चार करोड़ अठावन लाख अस्सी हजार तीन सौ) मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110- अस्पताल तथा औषधालय-0012-राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना उपशीर्ष-विपत्र कोड- 20-2210011100012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक आयोजना भिन्न में उपबन्धित राशि से प्राप्त राशि से निकासी की जाएगी।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, राजेन्द्रनगर अस्पताल, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।


5. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।

3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।



5

6. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।
7. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. निदेशक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

← सचिव

07/06/18

(सचिवदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

बिनेट

पटना, दिनांक : 07/06/2018

ज्ञापांक : 05(7)0

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर निदेशक एवं सिविल सर्जन/उपाधीक्षक, राजेन्द्रनगर अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख के सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं संबंधित सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

← सचिव

07/06/18

सरकार के विशेष सचिव

बिनेट

विवरणी

व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110- अस्पताल तथा औषधालय-0012-राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना उपशीर्ष- विपत्र कोड-20-2210011100012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध एवं आवंटन की स्थिति।

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (0012-01-01)	36000000	28800000	7200000
2	जीवन यापन भत्ता (0012-01-03)	4000000	3200000	800000
3	मकान किराया भत्ता (0012-01-04)	7078000	5662400	1415600
4	परिवहन भत्ता (0012-01-05)	768000	614400	153600
5	चिकित्सा भत्ता (0012-01-06)	768000	614400	153600
6	अन्य भत्ता (0012-01-07)	2212000	1769600	442400
	योग 20-2210.01.110.0012.01वेतन	50826000	40660800	10165200
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0012-06-01)	50000	0	50000
8	यात्रा व्यय (0012-11-01)	50000	25000	25000
9	कार्यालय व्यय (0012-13-01)	100000	50000	50000
10	दूरभाष (0012-13-03)	25000	12500	12500
11	विद्युत प्रभार (0012-13-04)	2000000	1500000	500000
12	विधि प्रभार (0012-13-05)	50000	25000	25000
13	वर्दी/ पोषाक (0012-13-06)	20000	10000	10000
14	किराया महसूल एवं कर (0012-14-01)	100000	50000	50000
15	प्रशिक्षण व्यय (0012-20-03)	589000	0	589000
16	सामग्री एवं पूर्तियों (0012-21-01)	180000	90000	90000
17	दवा भंडार (0012-21-02)	1560000	780000	780000
18	आहार/ पथ्य (0012-21-03)	754000	377000	377000
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0012-27-02)	600000	0	600000
20	संविदा सेवाएँ (0012-28-02)	4000000	2000000	2000000
21	मशीने एवं उपस्कर (0012-52-01)	600000	300000	300000
	कुल योग:-	61504000	45880300	15623700

कुल (चार करोड़ अठावन लाख अस्सी हजार तीन सौ) रुपये मात्र

05(7)a
07-06-18

सरकार के विशेष सचिव
07/6/18
बिन्दु